भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3098

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

केरल में आउटर रिंग रोड परियोजना को मंजूरी

†3098. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केरल में विझिंजम-नवैकुलम आउटर रिंग रोड परियोजना को अंतिम स्वीकृति देने में अत्यधिक देरी को देखते हुए त्वरित उपाय करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी में तेजी लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) पर्यावरण मंजूरी के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मुआवजा वितरण में देरी के कारण, अपनी भूमि और संपत्तियों को सौंप चुके लगभग 6,500 परिवार पिछले चार वर्षों से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का इन मुद्दों को हल करने और परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ङ) विझिंजम और नवैककुलम के बीच ग्रीनफील्ड राजमार्ग विकास और बाहरी रिंग रोड परियोजना के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 (एनएच 66) के लिए परियोजना कार्यान्वयन में हुए अनुभव के आधार पर, डीपीआर की समीक्षा सुरंगें और पुलों के प्रावधानों के साथ पहाड़ियों की कटाई को कम करने के लिए की गई। निवेश संबंधी निर्णय परस्पर प्राथमिकता, निधि की उपलब्धता और पीएम गति शक्ति के साथ तालमेल को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

(ख) और (ग) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने 15-16 जुलाई, 2026 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और कुछ सूचनाओं के अभाव में उसे स्थगित कर दिया।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण एनएच अधिनियम, 1956 के अनुसार किया जाता है और मुआवजा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की मंजूरी के बाद किया जाएगा।
